न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 20 / 2018

सुगन पुत्र दाताराम आयु 53 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्रांम ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–रमादेवी पत्नी शैलेश । समस्त जाति जाट निवासी बडका तहसील कठूमर
2–गुडडी पत्नी सुरेश । जिला अलवर
3–शान्ती देवी पत्नी स्व. भगवान स्वरुप जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा नदबई जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्व एस.डी.ओ.नदबई व मुकदमा सुगन बनाम शान्तीदेवी

उपस्थितः–
श्री पुरुषोत्तम मुदगल अभिभाषक प्रार्थी
श्री प्रमोद उपमन अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 9.4.2018

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एस.डी.ओ.नदबई न्यायालय में एक मुकदमा सुगन बनाम शान्तीदेवी वगै0 विचाराधीन है। जिसमें गैर प्रार्थीगण के विरुद्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्टे जारी किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 22.2.2018 को स्थगन सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.18 दी गई है। पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट कह दिया है कि दिनांक 26.2.18 को बहस करना नहीं तो स्थगन को समाप्त कर दूंगा। पीठासीन अधिकारी ने अपनी ओपीनियन प्रकट कर दी है। अप्रार्थी. दंवग व्यक्ति है। पीठासीन अधिकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी. की तलबी की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में प्रकरण सुगन बनाम शान्तीदेवी विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में अप्रार्थी. को पक्षकार मुकदमा बना लिया गया है। जिसकी अपील राजस्व मण्डल में की हुई है। एस.डी.ओ. प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही हैं। एस.डी.ओ. प्रकरण में बहस करने को प्रार्थी पर दबाब डाल रहे हैं, उन्होने स्पष्ट कह दिया है कि प्रकरण में जारी स्टे को निरस्त करुंगा। अप्रार्थी दंवग किस्म के व्यक्ति हैं। एस.डी.ओ.नदबई से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी ने इकतरफा में स्टे लिया हुआ है। प्रार्थी प्रकरण में बहस नहीं करना चाहते हैं। प्रकरण को देरीना करने मंशा से यह प्रार्थना पत्र झुठे आरोप लगाकर पेश किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुन कर ही पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में की गई निगरानी खारिज हो गई है। प्रार्थी ने अपने कथनों की सत्यता के लिये कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ. नदबई ने लगाये गये आरोपो को मन गढन्त बेबुनियाद बताते हुये प्रार्थी द्वारा इकतरफा में प्राप्त किये गये स्थगन आदेश प्रकरण को लंबित करने की मंशा से मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करना बताया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उसके कथनों बल मिलता हो। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर